



# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित हैचिक

## अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

**वर्ष : 01**  
**अंक : 111**  
**दि. 23.01.2026,**  
**शुक्रवार**  
**पाना : 04**  
**किंमत : 00.50 पैसा**

## महापौर की कुर्सी पर मातृशक्ति की दस्तक, महाराष्ट्र की सियासत में नया अध्याय

मुंबई। महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव सामने आया है। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के महापौर पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी के ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया है कि आने वाले कार्यकाल में महानगरों की सत्ता में महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने जा रही है। बीएमसी से लेकर नागपुर तक कुल 15 नगर निगमों में महिला महापौर चुनी जाएंगी। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि शहरी शासन में महिला नेतृत्व के विस्तार की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर भी पेश करता है। हालांकि इस फैसले के साथ ही राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप, असंतोष और रणनीतिक गणनाओं का दौर भी तेज हो गया है, खासकर मुंबई महानगरपालिका को लेकर।

राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को शहरी विकास मंत्री माधुरी मिसाल की मौजूदगी में 29 नगर निगमों के महापौर पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी में महापौर पदों का वर्गीकरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा

वर्ग और ओपन कैटेगरी के तहत किया गया। इस प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कुल 29 में से 15 महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, धुले, मीरा-भयंदर, नवी मुंबई, नांदेड़-वाघाला, मालेगांव जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम नगर निगम शामिल हैं। ओपन कैटेगरी महिला के लिए 9 नगर निगमों में महापौर पद आरक्षित किया गया है, जबकि ओबीसी महिला, अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जनजाति से भी महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी को लेकर हो रही है। देश के सबसे बड़े नगर निगम में इस बार महापौर पद ओपन कैटेगरी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। बीएमसी का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में यहां महिला महापौर का चुना जाना न केवल मुंबई, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति के लिए अहम संकेत देता है। भाजपा ने इसे गर्व का विषय बताते हुए कहा है कि मुंबई को दिशा देने, प्रब्ल्यूचार मुक्त प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत



करने की जिम्मेदारी अब एक महिला के हाथों में होगी। भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने दावा किया है कि अगले दो-तीन दिनों में पार्टी के भीतर बैठकें कर सभागृह नेता का चयन किया जाएगा और वही महापौर बनेगा।

आरोप है कि बीएमसी के लिए नियम बदले गए और आरक्षण प्रक्रिया को सत्ताधारी दलों के हित में मोड़ा गया। उनका कहना है कि बीएमसी में इस बार महापौर पद अनुचित जनजाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था। शिवसेना (यूबीटी) का तर्क है कि अगर एसटी महिला के लिए आरक्षण होता, तो उनके पास 'किंगमेकर' बनने का सुनहरा मौका था, क्योंकि बीएमसी में एसटी कैटेगरी

जो दो पार्षद हैं, वे दोनों ही ठाकरे गुट आते हैं। पार्टी का दावा है कि नियमों में नीकी बदलाव कर यह संभावना खत्म ही गई। इस पूरे विवाद का केंद्र वह प्रम है, जिसके तहत किसी भी आरक्षणीय को लागू करने के लिए काम से कम निवाचित सदस्य होना जरूरी है। एमसी में अनुसूचित जनजाति के केवल ही पार्षद होने के कारण एसटी आरक्षणीय नहीं किया गया। इसी आधार पर ओपन गरी महिला के लिए महापौर पद तय किया गया। ठाकरे गुट ने इसे राजनीतिक बातों हुए लॉटरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया। बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी नेकर ने आरोप लगाया कि यह लॉटरी सकों की संख्या और राजनीतिक गणित देखकर की गई है और इससे अनुसूचित नेता, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग साथ अन्याय हुआ है।

कक्षी दलों ने भी इस प्रक्रिया को लेकर बाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक दल नेता विजय वडेहुवार ने आरोप लगाया कि लॉटरी सिस्टम पहले से फिक्स था और आधारी गठबंधन को फायदा पहुंचाने

के लिए आरक्षण तय किया गया। विकास का कहना है कि बीएमसी जैसे बड़े निगम में आरक्षण का फैसला पारदर्शन और सामाजिक संतुलन के आधार पर हो चाहिए था, न कि राजनीतिक लाभ-नुस्खा को ध्यान में रखकर। शिवसेना (यूबीएस) के नेताओं का यह भी कहना है कि चुनाव परिणामों के बाद उद्घव ठाकरे ने जिस भवितव्य के साथ कहा था कि मुंबई में उनकी प्रतिक्रिया का मेयर होगा, वह उम्मीद अब इस लोकतांत्रिक विधि के साथ टूट गई है। दूसरी ओर, सत्ताधारी महायुति के भीतर भी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुप्ता) के बीच कई नगर निगमों को लेकर प्रतिक्रिया से ही खींचतान चल रही थी। मुंबई, ट्रायोली, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर जैसे बड़ी महानगरपालिकाओं में महायुति सत्ता लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इन निगमों में महापौर पद किस दल के नाम से लड़ा जाएगा, इस पर अंतिम फैसला अभी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समाजवादी संसदीय दौरे पर हैं और 25 जनवरी को शिवसेना (शिंदे गुप्ता) के शीर्ष नेताओं

बीच बैठक होने की संभावना है, जिसमें महापौर पदों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। मुंबई में भाजपा के भीतर भी महापौर पद को लेकर अंदरूनी राजनीति तेज हो गई है। पार्टी के गलियारों में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में अलका केरकर का नाम लिया जा रहा है, जो तीन बार की पार्षद रह चुकी हैं और उपमहापौर का अनुभव भी रखती हैं। इसके अलावा रितू तावडे और राजश्री शिरवाडकर जैसे नाम भी चर्चा में हैं। भाजपा नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ मुंबई की जटिल सामाजिक संरचना, खासकर मराठी और गैर-मराठी समीकरण को संतुलित कर सके। यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति से भी जुड़ा माना जा रहा है।

राज्य के अन्य हिस्सों में भी महापौर पदों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अकोला में ओबीसी महिला के लिए महापौर पद आरक्षित होने के बाद भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। वंचित बहुजन आधारी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के निवास पर कांग्रेस, एआईएमआईएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों की बैठक हुई, जिसमें महापौर पद को लेकर गहन चर्चा की गई। यह बैठक इस बात का संकेत है कि कई नगर निगमों में मुकाबला केवल सत्ताधारी और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जटिल गठबंधनों और रणनीतियों का भी होगा।

इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच एक बात साफ है कि इस बार महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में महिला नेतृत्व पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभेरेगा। 15 महिला महापौरों का चुना जाना केवल आरक्षण का परिणाम नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक मिजाज का भी संकेत है। शहरी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियों और प्रशासन में संवेदनशीलता, समावेशिता और जमीनी मुद्दों पर फोकस बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, यह भी सच है कि इन महिला महापौरों की राह आसान नहीं होगी। उन्हें न केवल प्रशासनिक चुनौतियों से ज़दाना होगा, बल्कि पुरुष-प्रधान राजनीतिक ढांचे में अपनी मजबूत पहचान भी बनानी होगी।

राहुल गांधी ने मजदूरों के समर्थन में मनरेगा बचाओ मोर्चा को संबोधित किया।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जवाहर भवन में आयोजित 'मनरेगा बचाओ मोर्चा' कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित 'विकसित भारत जी राम जी अधिनियम' को लेकर तीखा हमला बोला। इस अधिनियम के तहत कथित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि अगर देश के गरीब और मजदूर इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे, तो सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।



# जुबीन गर्ग मौत मामला: दो आरोपियों ने जमानत याचिका वापस ली अगली सनवार्ड 30 जनवरी को

A large-scale mural painting on a wall. The central figure is a man with dark hair, wearing headphones and singing into a red microphone. He has a determined expression with his eyes closed and mouth open. To his right, another man's face is partially visible, looking towards the singer. The background is a bright blue sky. An artist in a blue shirt and white pants is standing on a metal scaffolding, working on the right side of the mural. The overall style is a vibrant, modern street art piece.

A large-scale mural on a wall depicts a man singing into a red microphone. The man's face is split vertically; the left side is rendered in vibrant reds and blues, showing him wearing headphones and singing with his eyes closed. The right side is rendered in a more muted blue and grey, showing him with his eyes open. A person wearing a blue shirt and white pants stands on a metal scaffolding, working on the right side of the mural. The background of the mural is a light blue sky.

अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की गई है। इस दिन अदालत संभवतः जमानत पर अंतिम आदेश सुना सकती है। इस मामले में कुल सात आरोपियों के खिलाफ जमानत याचिकाएं दखिल की गई थीं, जिनमें से पांच की सुनवाई वर्तमान में चल रही थी। गुरुवार के फैसले के बाद श्यामकनु और संदीपन की याचिकाएं हट जाने से अब अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर ध्यान केंद्रित होगा। विशेष रूप से, जुबीन गर्ग के परिवार और सुरक्षा कर्मचारियों से जुड़े मामले में यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत आरोपियों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति तय करेगी, बल्कि पूरे मामले की सामान्य न्यायिक प्रक्रिया की गति पर भी असर डालेगी। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि अदालत में कानूनी रणनीति और वकीलों के फैसले किसी भी समय मामले की दिशा बदल सकते हैं। श्यामकनु और संदीपन ने अपनी याचिकाएं वापस लेकर अदालत पर भरोसा जताया कि वे मामले की न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई में पेश होंगे और अपने बचाव के लिए अन्य कानूनी उपाय अपनाएंगे। 30 जनवरी की अगली सुनवाई में कर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अन्य आरोपियों को जमानत मिलेगी या नहीं, और मामले की जांच तथा मुकदमे की गति किस दिशा में बढ़ेगी।

## कर्नाटक विधानसभा में अभूतपूर्व सियासी टकराव, बिना पूरा अभिभाषण पढ़े सदन से निकले राज्यपाल

## भोजशाला में आस्था और सह-अस्तित्व का संतुलन, सूप्रीम कोर्ट के फैसले से टला टकदार

धार। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और संवेदनशील स्थल भोजशाला को लेकर लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था आस्था, परंपरा और सामाजिक संतुलन के बीच रास्ता निकालने की कोशिश करती है। वसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में हिंदू पक्ष द्वारा मां सरस्वती की पूजा और मुस्लिम पक्ष द्वारा जुमे की नमाज को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच शीर्ष अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिससे दोनों समुदायों को अपनी-अपनी धार्मिक परंपराएं निभाने का अवसर मिल सके और किसी भी तरह की टकराव की स्थिति पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट



बैंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा के इतिहास में गुरुवार का दिन एक असामान्य और तीखे राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में दर्ज हो गया, जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत संयुक्त सत्र में पारंपरिक अधिभाषण पूरा पढ़े बिना ही सदन से बाहर निकल गए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने न केवल सदन की कार्यवाही को बाधित किया, बल्कि राज्यपाल और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को खुलकर सामने ला दिया। राज्यपाल के इस कदम के बाद विधानसभा परिसर में हंगामे का माहौल बन गया और कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया, जिससे पूरे घटनाक्रम ने संघीणित मर्यादाओं, परंपराओं और राजनीतिक शिष्टाचार

पर नई बहस छेड़ दी।  
विधानसभा सत्र की शुरुआत आमतौर पर राज्यपाल के अधिभाषण से होती है, जिसे सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और जिसमें सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख रहता है। यह अधिभाषण न केवल संवैधानिक औपचारिकता है, बल्कि सरकार और विधायिका के बीच एक औपचारिक संवाद का माध्यम भी माना जाता है। गुरुवार को भी कर्नाटक विधानसभा के संयुक्त सत्र में इसी परंपरा के तहत राज्यपाल थावरचंद गहलोत का अधिभाषण प्रस्तावित था। तथ कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल सदन में पहुंचे, सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर मौजूद थे और वातावरण औपचारिक लेकिन अपेक्षाकृत

शांत था। हालांकि यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। राज्यपाल ने अपने संबोधन की शुरूआत तो की, लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा तैयार किए गए पूरे भाषण को पढ़ने के बजाय केवल कुछ पंक्तियां पढ़ीं और अचानक अपना संबोधन समाप्त कर दिया। इसके तुरंत बाद वे सदन से बाहर निकल गए। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि कुछ पल के लिए सदन में मौजूद विधायक और

सवदनशाल स्थल भोजशाला का लेकर लब समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था आस्था, परंपरा और सामाजिक संतुलन के बीच रास्ता निकालने की कोशिश करती है। वसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में हिंदू पृथक द्वाग्रा मां सरखती की पूजा और मुस्लिम पक्ष द्वाग्रा जुमे की नमाज को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच शीर्ष अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिससे दोनों समुदायों को अपनी-अपनी धार्मिक परंपराएं निभाने का अवसर मिल सके और किसी भी तरह की टकराव की स्थिति पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट उस दिन नमाज का अनुभात दिन से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कोट्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भोजशाला लंबे समय से विवादित स्थल रहा है, जहां पूर्व में अदालत और प्रशासन के निर्देशों के तहत मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की अनुमति मिलती रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी एक समुदाय को पूरी तरह रोकना संविधान की भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होगा। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और कानून के दायरे में रहते हुए दोनों समुदायों की धार्मिक

नवसर्जन संस्कृति  
हिन्दी

JioTV  
CHENNAL NO.  
2063

Jio FIBER      Jio tv+      Jio Fiber      Daily Hunt      ebaba Tv      Dish Plus

DTH live OTT      Rock TV      Airtel      Amezone Fire      Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार  
प्राप्त करने के लिए आज ही  
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

# देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति **हिंदी** चेनल देखिये





